ब न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

(3)

वाद संख्या 11/2021
धारा 144 दं0प्र0सं0

उषा देवी
–बनाम–
कुंजल प्रसाद वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

आवेदिका के आवेदन एवं थाना प्रभारी, बरही के अप्राथमिकी संख्या 42/20 पर दिनांक 21.01.2021 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की माँग की गई एवं थाना प्रभारी, बरही से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उभय पक्षो से कारण पृच्छा प्राप्त है।

विवादित भूमि का विवरण निम्न है।
मौजा– पडरीया, थाना– बरही, जिला–हजारीबाग

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहदी
06	223	37.50 डी0	उ0–बालदेव प्रसाद द0–योगेश्वर प्रसाद पू0–अर्जुन प्रसाद प0–कुंजल प्रसाद

प्रथम पक्ष का कहना है कि विवादित जमीन मौजा पडरिया अंदर खाता न0 06, प्लॉट नं0 223 रकवा 37.50 डी0 मधे 14 डी0 जमीन आवेदिका की खरीदगी जमीन है। श्रीमति गिरजा देवी पति जगरनाथ महतो 31.05.1985 को डीड नं0 6908 को विक्रेता उगनी देवी पति रेवा महतो से दान पत्र रजिस्ट्री से हासिल किया है। गिरजा देवी अपने जीवनकाल मे ही खाता नं0 06 प्लॉट न0 223 रकवा $37\frac{1}{2}$ डी0 मधे 20 डी0 जमीन जुगेश्वर प्रसाद के पास बिक्री कर चुकी थी। अब गिरजा देवी के पास प्लॉट नं0 223 मे मात्र $17\frac{1}{2}$ डी0 बचा है। गिरजा देवी की मृत्यु के बाद इनके तीन पुत्री एक पुत्र है। जो वासुदेव महतो, टुकनी देवी, सरस्वती देवी, बसंती देवी, वासुदेव महतो अपना हिस्सा से अधिक रकवा 10 डी0 जमीन मनी महतो के पास बेचा है। मनी महतो ने अपनी खरीदगी जमीन मे बालदेव प्रसाद (उषा देवी के पति के पास) रकवा 10 डी0 बेचा। अब उषा देवी आवेदिका के पास 10 डी0 खरीदगी जमीन है। आवेदिका एवं इनके पति का खरीदगी तिथि से जमीन पर शांति पूर्वक जोत आबाद रहा है।

गिरजा देवी के पुत्री टुकनी देवी पति जगरनाथ महतो घरजमाई रहकर अपनी माँ की खरीदगी जमीन में अपना हिस्सा $4\frac{1}{4}$ डी0 में से 4 डी0 उषा देवी के पास दिनांक 23.11.2020 को बिक्री की। अब उषा देवी के पास 0.14 डी0 जमीन हो गया जिस पर वाद चल रहा है। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया है।

1. निबंधित केवाल संख्या 1540, दिनांक 08.02.1999 की छायाप्रति।
2. निबंधित केवाला संख्या 26 दिनांक 10.11.2014
3. निबंधित केवाला संख्या 2088 दिनांक 23.11.2020
4. Deed of Gift Dated 1985
5. Online पंजी–II की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में कहा है की प्रश्नगत भूमि गिरजा देवी के नाम से खतियानी दर्ज है। जो कि द्वितीय पक्ष की दादी है। गिरजा देवी अपने जीवनकाल मे 20 डी0 जमीन बैजू महतो के बेच दी और गिरजा देवी की मृत्यु के बाद इसके बेटे वासुदेव महतो ने 0.16 डी0 जमीन मनी महतो को 10 डी0 एवं विशुनी देवी को 6 डी0 बेच दिया। अब कोई जमीन बेचने के लिए शेष नहीं रहा। द्वितीय पक्ष का कहना है कि गिरजा देवी की बेटी टुकनी देवी का 04 डी0 जमीन बेचने का कोई अधिकार नहीं था और प्रथम पक्ष का कभी जमीन पर

N.u.a.
12/3/21

दखल नही रहा। इसलिए इस वाद को खारीज किया जाये।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया गया।

1. सोमिया देवी के द्वारा थाना मे दिये आवेदन दिनांक 29.06.2020 की छायाप्रति।
2. भूमि संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 10.12.2020 की छायाप्रति।
3. Medical Report of Basudev Mahto (Photocopy)
4. विशुनी देवी के नाम से 1.06 ए0 के नाम से कटा रसीद दिनांक 14.12.2020 की छायाप्रति
5. केवाला संख्या 1539 दिनांक 10.08.2000 की छायाप्रति

उभय पक्षो के कारण पृच्छा सलग्न कागजात का अवलोकन एवं विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात यह स्पष्ट है कि खाता नं0 06 प्लॉट नं0 223 रकवा $37\frac{1}{2}$ डी0 मे से मूल रैयत के द्वारा 20 डी0 जमीन बिक्री के उपरांत बचे भूमि 17.50 डी0 पर मूल रैयत के चार दावेदार 1. बासुदेव महतो 2. टुकनी देवी 3. सरस्वती देवी 4. बसंती देवी हुए परंतु बासुदेव महतो के द्वारा कुल (10+6) कुल 16 डी0 भूमि जो कि उनके अपने हिस्से से अधिक भूमि के बिक्री होने के कारण उक्त भूमि पर विवाद है जिसमे प्रश्नगत भूमि 14 डी0 जिसका चौहदी उ0– बालदेव प्रसाद द0 – योगेश्वर प्रसाद पू0 अर्जुन प्रसाद प0 कुंजल प्रसाद विवादित हो गया है। इसमे बची हुई भूमि से अधिक भूमि का कई निबंधित केवाला हो जाने से सभी पक्षकार अपने अपने कागजातो के आधार पर दावा कर रहे है। अतः यह मामला स्वत्व से संबंधित है। जिसका निर्णय इस न्यायालय से करना सभव नहीं है। पक्षकार सक्षम न्यायालय जा सकते है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Nawa. 16/3/21
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Nawa. 16/3/21
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:07:01 +05:30
Location: 192.168.101.22